न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 144/2017

अनवान :

1. रतनसिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राज0

– वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजबीर सिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. लखीराम पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. रोशनी पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा अनुपशहर जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा अनुपशहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़। राज0

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री दिवानसिंह : **वादी**

वकील श्री योगेश शर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 23-5-18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भाडी के खाता सं0 235/184 के खसरा सं0 226 की 4.5410 है0 तथा खसरा सं0 262/1 की 1.109 है0 कुल 5.650 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान सं0 1 रामसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में है। पक्षकारान दावा हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के पिता रामसिंह को अपने पिता मोमनराम से विरासत में प्राप्त हुई है, इसलिए उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का प्रतिवादी सं0 1 के साथ बहिस्सा बराबर हक है। प्रतिवादीया सं0 4 ने कृषि भूमि से अपने हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में तर्क कर दिया है। इस प्रकार उपरोक्त सहदायिक सम्पति वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जबाबदावा पेश किया एवं बाद में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादी सं0 5 व 6 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में रतनसिंह पुत्र रामसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम भाडी खाता सं0 235/184 सम्वत् 2071–74 प्रदर्श 1, चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम भाडी खाता सं0 184/187 सम्वत् 2067 से 70 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

कलक्टर

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कृषि भूमि वादी के पिता रामसिंह को अपने पिता मोमनराम से विरासत में प्राप्त हुई है, इसलिए उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का प्रतिवादी सं0 1 के साथ बहिस्सा बराबर हक है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम भाडी खाता सं0 184/187 सम्वत् 2067 से 70 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादी के दादा मोमन वल्द केशुराम के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में के वारिसान में फूलवती, तीन पुत्र राजवीरसिंह, रतनसिंह, लखीराम व एक पुत्री रोशनी होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम भाडी के खाता सं0 235/184 के खसरा सं0 226 की 4.5410 है0 तथा खसरा सं0 262/1 की 1.109 है0 कुल 5.650 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान सं0 1 रामसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-5-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रैक)
सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 144/2017

अनवान :

1. रतनसिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राज0

– वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजबीर सिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. लखीराम पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. रोशनी पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा अनुपशहर जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा अनुपशहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़। राज0

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दिवानसिंह एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 योगेश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम भाडी के खाता सं0 235/184 के खसरा सं0 226 की 4.5410 है0 तथा खसरा सं0 262/1 की 1.109 है0 कुल 5.650 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान सं0 1 रामसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-5-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़